UPBB010007342010

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 04, बाराबंकी ।

पीठासीन अधिकारी–: परशुराम, (H.J.S.) J.O. Code No. UP 6451

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–1089 / 2010

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष

बनाम

हृदय नरायन शर्मा पुत्र राधा कृष्ण, निवासी परसौली, सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर ।
...................अभियुक्त

अपराध संख्या-626/2010
धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं
मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
थाना–असन्द्रा, बाराबंकी ।

निर्णय

1. अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा के विरूद्व थाना–असन्द्रा, जिला बाराबंकी की पुलिस द्वारा अन्तर्गत अपराध संख्या–626/2010, धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 थाना–असन्द्रा, जिला बाराबंकी के तहत आरोप पत्र विचारण कर दण्डित करने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

2. संक्षेप में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 5/10/2010 को वादी एस०ओ० कोमल सिंह अपने हमराह आरक्षीगण, दिनेश कुमार पाठक व राजेश चंद्र के साथ सरकारी जीप से बहवाले रपट संख्या 31 समय 15:30 बजे वास्ते तलाश वांछित अपराधी, वारण्टी व शान्ति व्यवस्था थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए असंद्रा से नई सड़क की तरफ जा रहे थे, जैसे ही हम लोग राम खिलावन डिग्री कालेज के आगे देवरा मोड़ के करीब पहुंचे। उसी समय देवरा की ओर से दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस की जीप को देखकर अचानक पीछे मुड़कर जाने लगे। शक होने पर उन्हें रोका व टोका गया, लेकिन वह नहीं रुके और भागना चाहे तो हमराही कर्मचारीगण की मदद से 50 कदम की दूरी पर समय करीब 15:45 बजे पकड़ लिया गया। जब उनसे पूछा गया कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो तब बताया कि हम लोगों के पास मार्फीन है इसीलिए भागे थे। मार्फीन बताए जाने पर हम लोगों ने सुरेन्द्र केवट व हृदय नरायन से बताया कि तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि आपने पकड़े ही लिया है तो आप ही तलाशी ले लें। इस पर उनका सहमति पत्र तैयार किया गया। लिखित सहमति के बाद हम लोगों ने एक–दूसरे की जामा तलाशी ले–दे कर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। पकड़े गए दोनों व्यक्ति सुरेन्द्र केवट एवं हृदय नारायण की जामा तलाशी ली गई तो (प्रस्तुत मामले से सम्बंधित अभियुक्त)

हृदयनारायण की जामतालाशी में पैंट के दाहिनी जेब से एक सफेद रंग की पॉलीथिन में भूरे रंग का पाउडर व पहनी हुई शर्ट की ऊपरी बाई जेब से ₹100 के 3 नोट व ₹50 का एक नोट बरामद हुआ । तफ्तीशी, बैग से तराजू बांट निकालकर सुरेन्द्र केवट व हृदयनरायन के कब्जे से बरामद पाउडर मार्फीन को अलग–अलग तौला गया जो 50-50 gram पाई गई। नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर जनता के गवाह आ गए थे। उनसे गवाही के लिए कहा गया तो भलाई बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। मौके पर गिरफ्तारी अधिपत्र तैयार किया गया। फर्द बरामदगी मौके पर मेरे बोलने पर दिनेश पाठक ने ही किता की तथा हमराहियान व मुल्जिमान के हस्ताक्षर कराए गए थे। माल मुल्जिमान के साथ हम लोग थाने आए, मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। माल मुल्जिमान को थाने कार्यालय में दाखिल किया गया । फर्द बरामदगी के आधार पर घटना की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी जिसका इन्द्राज कायमी जी०डी० जी.डी.रपट संख्या 35 समय 17:35 पर किया गया । अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही के अनुक्रम में घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया । गवाहों के बयान अंकित किये गये । माल को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया । दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अपराध संख्या–626/2010, धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 थाना–असन्द्रा, जिला बाराबंकी के तहत आरोप पत्र सत्र न्यायालय, बाराबंकी में दिनांक-01-12-2010 को प्रेषित किया गया । तदुपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेशोपरांत यह मामला इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त हुआ ।

3. अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा के विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांकित 27-01-2011 के द्वारा धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त द्वारा आरोप से इन्कार किया गया व विचारण की मांग की गयी ।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में परीक्षित कराये गये साक्षियों का विवरण निम्नवत् है–

अभियोजन साक्षी संख्या	गवाहों के नाम	विवरण
PW-1	निरीक्षक कोमल सिंह	सहमति पत्र , गिरफ्तारी मेमों व बरामदगी का चश्मदीद गवाह
PW-2	कांस्टेबिल दान बहादुर	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी०डी०

5. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्य व उनको साबित करने वाले गवाहों का विवरण निम्नवत् है–

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	प्रदर्श जिन गवाहों द्वारा साबित किये गये
क-1	सहमति पत्र	PW-1 निरीक्षक कोमल सिंह

क-2	गिरफ्तारी मेमों	PW-1 निरीक्षक कोमल सिंह
क-3	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	PW-2 कांस्टेबिल दान बहादुर
क-4	कार्बन प्रति कायमी जी०डी०	PW-2 कांस्टेबिल दान बहादुर
क-5	मूल जी०डी० नष्ट होने की रिपोर्ट	PW-2 कांस्टेबिल दान बहादुर

6. अभियुक्त की ओर से डाकेट पत्र, माल परीक्षण हेतु भेजे जाने सम्बंधी जी०डी० की फोटोप्रति, कार्बन प्रति जी०डी०, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व फर्द बरामदगी की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है । जिसके आधार पर डाकेट पत्र पर प्रदर्श क-6, फोटोप्रति जी०डी० माल परीक्षण हेतु भेजे जाने सम्बंधी पर प्रदर्श क-7, कार्बन प्रति जी०डी० पर प्रदर्श क-8, नक्शा नजरी पर प्रदर्श क-9, आरोप पत्र पर प्रदर्श क-10, फर्द बरामदगी पर प्रदर्श क-11 व विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट पर प्रदर्श क-12 डाला गया ।

7. अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० अभिलिखित किया गया । सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. मैंने दौरान बहस विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार से सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया ।

9. अभियोजन कथानक व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 के अनुसार दिनांक 5/10/2010 को वादी एस०ओ० कोमल सिंह अपने हमराह आरक्षीगण, दिनेश कुमार पाठक व राजेश चंद्र के साथ सरकारी जीप से बहवाले रपट संख्या 31 समय 15:30 बजे वास्ते तलाश वांछित अपराधी, वारण्टी व शान्ति व्यवस्था थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए असंद्रा से नई सड़क की तरफ जा रहे थे, जैसेही वे लोग राम खिलावन डिग्री कालेज के आगे देवरा मोड़ के करीब पहुंचे। उसी समय देवरा की ओर से दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस की जीप को देखकर अचानक पीछे मुड़कर जाने लगे। शक होने पर उन्हें रोका व टोका गया, लेकिन वह नहीं रुके और भागना चाहे तो हमराही कर्मचारीगण की मदद से 50 कदम की दूरी पर समय करीब 15:45 बजे पकड़ लिया गया। जब उनसे पूछा गया कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो तब बताया कि हम लोगों के पास मार्फीन है इसीलिए भागे थे। मार्फीन बताए जाने पर हम लोगों ने सुरेन्द्र केवट व हृदय नरायन से बताया कि तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि आपने पकड़े ही लिया है तो आप ही तलाशी ले लें। इस पर उनका सहमति पत्र तैयार किया गया। लिखित सहमति के बाद हम लोगों ने एक–दूसरे की जामा तलाशी ले–दे कर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। पकड़े गए दोनों व्यक्ति सुरेन्द्र केवट एवं हृदय नारायण की जामा तलाशी ली गई तो (प्रस्तुत मामले से सम्बंधित अभियुक्त) हृदयनारायण की जामतालाशी में पैंट के दाहिनी जेब से एक सफेद रंग की पॉलीथिन में भूरे रंग का पाउडर व पहनी हुई शर्ट की ऊपरी बाई जेब से ₹100 के 3 नोट व ₹50 का एक नोट बरामद हुआ । तफ्तीशी, बैग से तराजू बांट निकालकर सुरेन्द्र केवट व हृदयनरायन के कब्जे से बरामद पाउडर मार्फीन को अलग–अलग तौला गया जो 50-50 gram पाई गई। नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर जनता के गवाह आ गए थे। उनसे गवाही के लिए कहा गया तो भलाई बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। मौके पर गिरफ्तारी अधिपत्र तैयार किया गया।

फर्द बरामदगी मौके पर ही मेरे बोलने पर दिनेश पाठक ने किता की तथा हमराहियान व मुल्जिमान के हस्ताक्षर कराए गए थे। उक्त फर्द के आधार पर थाना–असन्द्रा, बाराबंकी में हृदय नरायन शर्मा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-626/2010 धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर हृदय नरायन शर्मा के विरुद्ध धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा के विरुद्ध धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा के विरुद्ध विरचित आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षीगण PW-1 निरीक्षक कोमल सिंह व PW-2 कांस्टेबिल दान बहादुर को परिक्षित कराया गया है ।

10. अभियोजन कथानक को दृष्टिगत रखते हुये महत्वपूर्ण विचारणीय विन्दु यह है कि क्या दिनांक-05.10.2010 को समय करीब 15.45 बजे वहद स्थान देवरा मोड़ के करीब वहद ग्राम देवरा झलिहा थाना असन्द्रा, बाराबंकी में अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा को थानाध्यक्ष कोमल सिंह असन्द्रा व अन्य हमराहियान पुलिस कर्मचारीगण द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार जामा तलाशी लिये जाने पर आपके कब्जे से 50 ग्राम नाजायज मारफीन बरामद हुई, जिसको रखने का आप कोई लाइसेंस नहीं था ?

11. **धारा–8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का प्रावधान निम्नवत है -** कुछ कार्यों का प्रतिषेध - कोई भी व्यक्ति-

(ए) किसी कोका पौधे की खेती करना या कोका पौधे का कोई भाग इकट्ठा करना; या

(बी) अफीम पोस्त या किसी भांग के पौधे की खेती करना; या

(सी) किसी भी मादक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या ट्रांसशिप करना, चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए छोड़कर और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति से और सीमा तक और ऐसे मामले में जहां ऐसा कोई उपबंध लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के माध्यम से कोई अपेक्षा अधिरोपित करता है, ऐसे लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों के अनुसार करेगा अन्यथा नहीं ।

12. **धारा -21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का प्रावधान निम्नवत् है - विनिर्मित औषधियों और तैयारियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड-** जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में, किसी विनिर्मित औषधि या किसी विनिर्मित औषधि से युक्त किसी तैयारी का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात या उपयोग करेगा, वह निम्नलिखित के लिए दण्डनीय होगा,

(ए) जहां उल्लंघन छोटी मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है;

(बी) जहां उल्लंघन में वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से अधिक मात्रा शामिल है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा;

(सी) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वहां कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, किन्तु जो बीस वर्ष तक का हो सकेगा, तथा कम से कम एक लाख रुपए के जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा।

परन्तु न्यायालय, निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगा सकेगा।

13. प्रश्नगत मामले में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यानुसार वादी मुकदमा निरीक्षक कोमल सिंह, थाना असन्द्रा, जिला बाराबंकी द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक-05-10-2010 को समय 15:45 बजे थाना असन्द्रा, जिला बाराबंकी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 5/10/2010 को वादी एस०ओ० कोमल सिंह अपने हमराह आरक्षीगण, दिनेश कुमार पाठक व राजेश चंद्र के साथ सरकारी जीप से बहवाले रपट संख्या 31 समय 15:30 बजे वास्ते तलाश वांछित अपराधी, वारण्टी व शान्ति व्यवस्था थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए असंद्रा से नई सड़क की तरफ जा रहे थे, जैसे ही वे लोग राम खिलावन डिग्री कालेज के आगे देवरा मोड़ के करीब पहुंचे। उसी समय देवरा की ओर से दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस की जीप को देखकर अचानक पीछे मुड़कर जाने लगे। शक होने पर उन्हें रोका व टोका गया, लेकिन वह नहीं रुके और भागना चाहे तो हमराही कर्मचारीगण की मदद से 50 कदम की दूरी पर समय करीब 15:45 बजे पकड़ लिया गया। जब उनसे पूछा गया कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो तब बताया कि हम लोगों के पास मार्फीन है इसीलिए भागे थे। मार्फीन बताए जाने पर हम लोगों ने सुरेन्द्र केवट व हृदय नरायन से बताया कि तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि आपने पकड़े ही लिया है तो आप ही तलाशी ले लें। इस पर उनका सहमति पत्र तैयार किया गया। लिखित सहमति के बाद हम लोगों ने एक–दूसरे की जामा तलाशी ले–दे कर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों सुरेन्द्र केवट एवं हृदय नारायण में से हृदय नरायन शर्मा की जामा तलाशी में उसके पैंट के दाहिनी जेब से एक सफेद रंग की पॉलीथिन में भूरे रंग का पाउडर बरामद हुआ । तफ्तीशी, बैग से तराजू बांट निकालकर बरामद पाउडर मार्फीन को तौला गया जो 50 gram पाया गया। नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर गिरफ्तारी अधिपत्र तैयार किया गया। फर्द बरामदगी मौके पर निरीक्षक कोमल सिंह के बोलने पर दिनेश पाठक ने ही किता की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी PW-1 निरीक्षक कोमल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 5/10/2010 को मैं थानाध्यक्ष असंधरा के पद पर तैनात थी। उस दिन हमराह आरक्षीगण, दिनेश कुमार पाठक व राजेश चंद्र के साथ सरकारी जीप से अपनी रवानगी जी.डी. संख्या 31 समय 15:30 बजे दर्ज कराकर थाने से रवाना हुए थे। गश्त करते हुए हम लोग असंद्रा से नई सड़क की तरफ जा रहे थे, जैसे ही हम लोग राम खिलावन डिग्री कालेज के आगे देवरा मोड़ के करीब पहुंचे। उसी समय देवरा की ओर से दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस की जीप को देखकर अचानक पीछे मुड़कर जाने लगे। शक होने पर उन्हें रोका व टोका गया, लेकिन वह नहीं रुके और भागना

चाहे तो हमराही कर्मचारीगण की मदद से 50 कदम की दूरी पर समय करीब 15:45 बजे पकड़ लिया गया। जब उनसे पूछा गया कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो तब बताया कि हम लोगों के पास मार्फीन है इसीलिए भागे थे। मार्फीन बताए जाने पर हम लोगों ने सुरेन्द्र केवट व हृदय नरायन से बताया कि तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि आपने पकड़े ही लिया है तो आप ही तलाशी ले लें। इस पर उनका सहमति पत्र तैयार किया गया। हम लोगों ने एक–दूसरे की जामा तलाशी ले–दे कर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। पकड़े गए दोनों व्यक्ति सुरेन्द्र केवट एवं हृदय नारायण की जामा तलाशी ली गई तो हृदयनारायण की जामतालाशी में पैंट के दाहिनी जेब से एक सफेद रंग की पॉलीथिन में भूरे रंग का पाउडर व पहनी हुई शर्ट की ऊपरी बाई जेब से ₹100 के 3 नोट व ₹50 का एक नोट बरामद हुआ । तफ्तीशी, बैग से तराजू बाहर निकालकर बरामद पाउडर मार्फीन को तौला गया जो 50 gram पाई गई। नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर जनता के गवाह आ गए थे। उनसे गवाही के लिए कहा गया तो भलाई बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। मौके पर गिरफ्तारी अधिपत्र तैयार किया गया। साक्षी द्वारा सहमति पत्र व फर्द को क्रमशः प्रदर्श क -1 तथा प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया है । साक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि फर्द बरामदगी मौके पर ही मेरे बोलने पर दिनेश पाठक ने ही किता की थी, हमराहियान व मुल्जिमान के हस्ताक्षर कराए गए थे। माल मुल्जिमान के साथ हम लोग थाने आए, मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। माल मुल्जिमान को थाने कार्यालय में दाखिल किया गया । फर्द बरामदगी के आधार पर मुकदमा कायम किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी PW-2 कांस्टेबिल दान बहादुर ने अपनी मुख्य साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 5/10/2010 को थाना असंद्रा जनपद बाराबंकी में आरक्षी लिपिक के पद पर तैनात थे। उस दिन मैंने एस. ओ. कोमल सिंह द्वारा दाखिल की गई फर्द बरामदगी के आधार पर चिक एफ.आई.आर. अपराध संख्या 626 /10 अंतर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट बनाम हृदयनारायण, अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी जो कागज संख्या ब-43 ता. ब-44 शामिल पत्रावली प्रमाणित प्रति है जिसकी शिनाख्त करते हुए साक्षी ने प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया। साक्षी ने यह भी कहा कि इस मुकदमे की कायमी जी.डी.रपट संख्या 35 समय 17:35 बजे मैंने मूल के साथ कार्बन लगाकर दर्ज की थी, जिसकी प्रमाणित छायाप्रति कागज संख्या अ -6 शामिल पत्रावली हैं जिसकी शिनाख्त करते हुए साक्षी ने प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया। साक्षी ने थाने से प्राप्त मूल जी.डी. नष्ट होने की रिपोर्ट को प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया है। उल्लेखनीय है कि स्वयं अभियुक्त की ओर से डाकेट पत्र, माल परीक्षण हेतु भेजे जाने सम्बंधी जी०डी० की फोटोप्रति, कार्बन प्रति जी०डी०, नक्शा नजरी, आरोप पत्र, फर्द बरामदगी व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है । जिसके आधार पर डाकेट पत्र पर प्रदर्श क-6, फोटोप्रति जी०डी० माल परीक्षण हेतु भेजे जाने सम्बंधी पर प्रदर्श क-7, कार्बन प्रति जी०डी० पर प्रदर्श क-8, नक्शा नजरी पर प्रदर्श क-9, आरोप पत्र पर प्रदर्श क-10, फर्द बरामदगी पर प्रदर्श क-11 व विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट पर प्रदर्श क-12 डाला गया । विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श क -12 के अनुसार बरामद स्मैक में 17.3% हेरोइन पाये जाने की पुष्टि की गयी है ।

14. इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में दिनांक-05.10.2010 को समय करीब 15.45 बजे वहद स्थान देवरा मोड़ के करीब वहद ग्राम देवरा झलिहा थाना असन्द्रा, बाराबंकी में अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा को थानाध्यक्ष कोमल सिंह असन्द्रा व अन्य हमराहियान पुलिस कर्मचारीगण द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार जामा तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे से 50 ग्राम नाजायज मारफीन बरामद हुई। जिसको रखने का उसके पास कोई वैध अधिकार पत्र नहीं था । अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी PW–1 निरीक्षक कोमल सिंह के द्वारा साक्ष्य में दिये गये अपने बयान में अभियोजन कथानक की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि दिनांक-05.10.2010 को समय करीब 15.45 बजे वहद स्थान देवरा मोड़ के करीब वहद ग्राम देवरा झलिहा थाना असन्द्रा, बाराबंकी में वह तथा हमराह पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी जामा तलाशी लिये जाने पर उसके पैंट के दाहिनी जेब से एक सफेद रंग की पॉलीथिन में रखा हुआ लगभग 50 ग्राम नाजायज मारफीन बरामद हुई है, जिसे रखने का उसके पास कोई अधिकार पत्र / लाइसेंस नहीं था । इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी PW-2 कांस्टेबिल दान बहादुर द्वारा दौरान मुख्य साक्ष्य अभियोजन कथानक की पुष्टि करते हुए अभियोजन प्रपत्र चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी०डी० को साबित किया गया है । स्वयं अभियुक्त द्वारा अन्य अभियोजन प्रपत्र डाकेट पत्र, माल परीक्षण हेतु भेजे जाने सम्बंधी जी०डी० की फोटोप्रति, कार्बन प्रति जी०डी०, नक्शा नजरी, आरोप पत्र, फर्द बरामदगी व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है । स्वयं अभियुक्त की ओर से धारा-313 दं०प्र०सं० के तहत अभिलिखित किये गये बयान में स्वयं घटना को सही बताते हुए जुर्म स्वीकार किया गया है । अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार करते हुए प्रश्नगत मामले की घटना को सही बताया गया है । इस प्रकार अभियोजन साक्षी द्वारा साक्ष्य में दिये गये बयान, अभियोजन प्रपत्र तथा अभियुक्त द्वारा धारा-313 दं०प्रं०सं० के तहत दिये गये बयान व उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये तथ्यों के आधार पर यह पूर्णतया साबित होता है कि वादी मुकदमा सहित अन्य पुलिस बल द्वारा दिनांक-05.10.2010 को समय करीब 15.45 बजे वहद स्थान देवरा मोड़ के करीब वहद ग्राम देवरा झलिहा थाना असन्द्रा, बाराबंकी में अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी जामा तलाशी लिये जाने पर उसके पैंट के दाहिनी जेब से एक सफेद रंग की पॉलीथिन में रखा हुआ लगभग 50 ग्राम नाजायज मारफीन बरामद हुआ, जिसे रखने का उसके पास कोई अधिकार पत्र / लाइसेंस नहीं था । अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा के पास से जिस वस्तु अर्थात 50 ग्राम नाजायज मारफीन की बरामदगी की गयी है, वह धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है । उल्लेखनीय यह भी है कि अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा के पास से जितनी मात्रा (50 ग्राम) में नाजायज मारफीन बरामद होना कहा गया है, वह स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा को विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना की सारिणी में वर्णित लघु मात्रा से अधिक तथा वाणिज्यिक मात्रा से कम की श्रेणी में आता है जो कि धारा -21(B) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है ।

15. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा के विरुद्ध धारा–8/21(B) स्वापक औषधि एवं

मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्ध होता है । अतएव उक्त आरोप के लिये अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा दोषसिद्ध किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

16. अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा को धारा–8/21(B) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा प्रश्नगत मामले में जमानत पर है । उसके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं । अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये । अभियुक्त तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आज ही दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने का अनुरोध किया गया। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो ।

दिनांक–: 11.03.2026

(परशुराम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-4, जनपद– बाराबंकी ।
J.O. Code No.UP6451

17. पत्रावली लंचबाद पुनः पेश हुई । दंड के प्रश्न पर उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनः गहनता से परिशीलन किया ।

18. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा एक पेशेवर अपराधी है । इसलिये अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाय ।

19. अभियुक्त की ओर से तर्क करते हुये कहा गया कि वे मजदूर पेशा अत्यंत ही गरीब व्यक्ति है । उसके परिवारीजन का पालन पोषण करने का उनके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है । यह भी तर्क किया गया कि वह इस मामले में जिला कारागार में लम्बी अवधि तक निरुद्ध भी रहा है तथा विगत 15 वर्षों से मुकदमें के विचारण में लगातार उपस्थित होता रहा है, जिसके कारण वह वैसे ही काफी सजा भुगत चुका है । इसलिये उसके द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया जाकर उन्हे मुक्त कर दिया जाय ।

20. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा की ओर से किये गये तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दोषसिद्ध अभियुक्त की सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक परिस्थितियों तथा अभियुक्त के पास से बरामद मारफीन की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध अभियुक्त को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित एवं तर्कसंगत पाता हूँ जिससे कि न्याय के उद्देश्य की भी पूर्ति हो सके ।

आदेश

21. दोषसिद्ध अभियुक्त हृदय नरायन शर्मा को धारा–8/21(B) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए दो (02) माह के कारावास के दण्ड तथा मु०-2000/-(दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने की स्थिति में सम्बंधित अभियुक्त को 20 (बीस) दिवस की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।

22. अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित होगी ।

23. इस निर्णय की एक प्रति निःशुल्क एवं अविलम्ब दोषसिद्ध अभियुक्त को प्राप्त करायी जाये तथा सजायाबी वारण्ट तद्नुसार अधीक्षक जिला कारागार बाराबंकी को भेजी जाये ।
दिनांक–: 11.03.2026

(परशुराम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-4, जनपद– बाराबंकी ।
J.O. Code No.UP6451

24. उपरोक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया ।
दिनांक–: 11.03.2026

(परशुराम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-4, जनपद– बाराबंकी ।
J.O. Code No.UP6451